

13/04/22
वकील वादी इफा। वकील वादी ~~अनुराग~~
साक्ष्य पेश किया। साक्ष्य वादी के
लिए समय-याह। पत्रावली वाले
साक्ष्यवादी डि. 13/4/22 को पेश हो
र

15/04/22

वकील वादी इफा। पत्रावली वाले
साक्ष्यवादी - डि. 06-06-22 को पेश हो
र

06/06/22

पत्रावली पेश हुई। ना तो वादी और ना
हि वादी के अधिवक्ता -यायालय में
उपस्थित आये। बार-बार आवाज लगवाई
गई। कोई उपस्थित नहीं आया।
अतः यह दावा अदम हाजिरी अदम
पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा